



झाँसी पुलिस



प्रेस नोट

थाना- नवाबाद, जनपद-झाँसी

दिनांक: 24.10.2026

थाना नवाबाद पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार किया गया एवं कब्जे से चोरी के ₹10,000/- नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 23.10.2026 को आवेदक डॉ. संजय त्रिपाठी पुत्र स्व. बी.डी. शर्मा, निवासी चिरंजीवी हॉस्पिटल, मेडिकल रोड, झाँसी की लिखित तहरीर के आधार पर वादी के अस्पताल में साफ-सफाई का काम करने वाली महिला के पुत्र दीपांशु अडजरिया द्वारा आवेदक के लाकर को कैंची से खोलकर चोरी करने व चोरी किए गए रुपये अपने पिता को दे देने के संबंध में थाना नवाबाद पर मु0अ0सं0 591/2026 धारा 306, 61(2)(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री विकास कुमार के कुशल निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक नगर श्रीमती प्रीति सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री प्रिया सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक नवाबाद श्री रवि श्रीवास्तव के नेतृत्व में

आज दिनांक 24.10.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त दीपांशु अडजरिया को मुखबिर की सूचना पर सखी के हनुमान मन्दिर के पास हाईवे किनारे स्थित जे0डी0ए0 कॉलोनी जाने वाले रास्ते से चोरी किए गए माल ₹10,000/- नगद सहित गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त दीपांशु अडजरिया से की गई पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि वह पिछले दो साल से डॉ. संजय त्रिपाठी के घर में साफ-सफाई का काम करता है तथा उसकी माँ ज्योति भी पिछले तीन साल से वहीं काम करती है। पैसे के लालच में आकर वह पिछले एक साल से लगातार डॉक्टर साहब के बेडरूम के लाकर से चोरी करता आ रहा था। लाकर की चाबी बाथरूम के बाहर बने वार्डरोब की दराज में रखी रहती थी, जिसे वह कैंची से खोलकर चाबी निकाल लेता था और मनमर्जी कभी 10,000/- तो कभी 15,000/- रुपये निकाल लेता था। चोरी किए गए सारे पैसे वह अपने खर्च का पैसा निकालकर अपने सौतेले पिता/मौसा रामनरेश व ताऊ रामाधार को दे देता था। चोरी के पैसों से ही उसके पिता द्वारा एक पुरानी सफेद रंग की अर्टिगा कार व एक मोटरसाइकिल खरीदी गई तथा ताऊ रामाधार द्वारा एक ऑटो खरीदा गया था, जिसकी किस्त इसी चोरी के पैसे से जाती थी। कल दिनांक 22.10.2026 को डॉक्टर साहब द्वारा उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया गया था, जिसके बाद आज वह यह ₹10,000/- घर से उठाकर पुलिस के डर से झाँसी से बाहर जा रहा था कि तभी पुलिस टीम द्वारा उसे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- दीपांशु अडजरिया पुत्र स्व० टिंकू अडजरिया, निवासी सुधा विहार के पीछे, पिछोरे गुमनावारा, थाना नवाबाद, जिला झाँसी उम्र करीब 19 वर्ष (गिरफ्तार)

वांछित अभियुक्तगण:

1. रामनरेश (अभियुक्त का सौतेला पिता)
2. श्रीमती ज्योति अडजारिया पत्नी रामनरेश अडजारिया समस्त निवासीगण- नई बस्ती सुधा विहार कालोनी, थाना कोतवाली, जिला झाँसी

बरामदगी का विवरण:-

₹10,000/- (दस हजार रुपये नगद): अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान बरामद।

₹1,00,000/- (एक लाख रुपये): मुकदमा वादी द्वारा अभियुक्त से घटना के समय बरामद किए गए।

अपराधिक इतिहास:

1. मु०अ०सं० 591/2026 धारा 306, 61(2)(a), 317(2) बीएनएस, थाना नवाबाद, जिला झाँसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

प्रभारी निरीक्षक श्री रवि श्रीवास्तव, थाना नवाबाद, जनपद झाँसी

उ०नि० अनुज यादव, थाना नवाबाद, जनपद झाँसी

उ०नि० निखिल कुमार (चौकी प्रभारी इलाइट), थाना नवाबाद, जनपद झाँसी

उ०नि० प्रेम सागर, थाना नवाबाद, जनपद झाँसी

का० 33 रवि गुप्ता, थाना नवाबाद, जनपद झाँसी